10

न्यायालय उप जिलाधिकारी घाटमपुर/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0), कानपुर नगर।

वाद संख्या-9 /2011-12 धारा- 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट

मौजा- बीछीपुर परगना घाटमपुर, कानपुर नगर।

स्व0 अभिषेक कुमार सिंह स्मारक महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक रावेन्द्र सिंह बनाम गांवसभा बीछीपुर

नकल निर्णय दि० 7-6-12

स्व0 अभिषेक कुमार स्मारक महाविद्यालय बीछीपुर द्वारा संचालित अभिषेक कुमार सिंह शिक्षा सेवा समिति द्वारा प्रबन्धक रावेन्द्र सिंह सचान पुत्र शिवकण्ठ सिंह निवासी ग्राम बीछीपुर तहसील घाटमपुर जिला कानपुर नगर ने ग्रामसभा बीछीपुर को पक्षकार बनाते हुए एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादी खाता संख्या- 72 गाटा सं0- 188 रकवा 1.694 हे0 स्थित मौजा बीछीपुर का सहकृषक, संक्रमणीय भूमिधर रहा है। वादी ने उपरोक्त गाटा सं0- 188 रकवा 1.694 हे0 में से 1.0017 हे0 में महाविद्यालय संस्था स्थापित कर रहा है तथा वादी का विद्यालय भूमि का कार्य शुरू हो जाने से कृषि भूमि की नवैयत बदल गई है। आराजी मिलजुमला में खेती नहीं होती है तथा महाविद्यालय का सीमेन्ट सरिया तथा भवन निर्माण की सामग्री एकत्रित है तथा विद्यालय भूमि निर्मित होना है। इसलिए भूमि कृषि भूमि की जगह आबादी में नवैयत बदलना न्यायहित में है। प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करके तहसीलदार घाटमपुर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार घाटमपुर की जांच आख्या दिनांक 07-06-2011 के अनुसार ग्राम बीछीपुर की गाटा संख्या- 188 रकवा 1.017 हे0 पर वर्तमान समय में कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन का कार्य नहीं किया जा रहा है। अपितु मौके महाविद्यालय के भवन निर्माणाधीन है। उक्त भूमि को जेड0ए0एल0आर0एक्ट के तहत प्रख्यापन किये जाने की संस्तुति की है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार घाटमपुर, कानपुर नगर की आख्या दिनांक 07-06-2012 का अवलोकन किया। तहसीलदार घाटमपुर की जांच आख्या दिनांक 07-06-2012 के अनुसार ग्राम बीछीपुर की गाटा संख्या- 188 रकवा 1.017 हे0 पर वर्तमान समय में कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन का कार्य नहीं किया जा रहा है। अपितु मौके महाविद्यालय के भवन निर्माणाधीन है। उक्त भूमि को जेड0ए0एल0आर0एक्ट के तहत प्रख्यापन किये जाने की संस्तुति की है। अतएव ऐसी स्थिति में ग्राम बीछीपुर की गाटा संख्या- 188 रकवा 1.017 हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उक्त विवेचना के आलोक में ग्राम बीछीपुर, परगना व जिला कानपुर नगर के खाता संख्या- 72 की गाटा संख्या- 188 रकवा 1.017 हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। उक्त आदेश की एक-एक प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक, कानपुर नगर व तहसीलदार, घाटमपुर को भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमल-दरामद जारी हो तथा बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में अभिरक्षित हो।

दिनांक :

(के0पी0 सिंह) 7/6/12
उप जिलाधिकारी घाटमपुर/
सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
कानपुर नगर।

उक्त निर्णय मेरे द्वारा सतिथि हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(के0पी0 सिंह)
उप जिलाधिकारी घाटमपुर/
सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
कानपुर नगर।

सवाल नम्बर 337
दिनांक 12-6-12
नाम विक्रम सिंह
दिनांक 13-6-12
दि. 14-6-12

CHAIRMAN / SECRETARY
Dayanand Dinanath
College of Pharmacy (DDCOP)

PRINCIPAL
Dayanand Dinanath
College of Pharmacy (DDCOP)
Bicchipur, Rawna, Ghatampur
Kanpur Nagar-(U.P.)